हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 110

शुक्रवार, 18 मार्च, 2016/28 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2978 से 2983 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2984 से 2991 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1275 से 1278 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री बी0के0 चौहान, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि दैनिक जागरण, हिन्दी समाचार-पत्र में चम्बा का एक समाचार छपा है "**चम्बा की 7 पंचायतों में पीलिया फैला, 15 बीमार, एक की मृत्यु।**" चम्बा में जो पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है, वह नदी-नालों से टैंक्स में इकट्ठा करके Unfiltered ही लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। Filter Beds कहीं पर भी नहीं है। ज़िला में पीलिया बीमारी महामारी का रूप धारण न करे, इससे पहले वहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

साथ ही श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सदस्य ने भी भटियात, विधान सभा चुनाव क्षेत्र में गन्दा पानी सप्लाई किए जाने पर चिंता व्यक्त की तथा कहा कि वहां पर कहीं भी Filter Beds नहीं हैं और Tanks भी खुले पड़े हैं जिससे पीलिया रोग भयंकर रूप धारण कर रहा है। विभाग को इस पर तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए।

इस पर माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने तुरन्त आश्वासन देते हुए कहा कि मैंने माननीय सदस्यों की बात को अच्छी तरह से समझ लिया है तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले।

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1.) **श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-20/99 दिनांक 03.04.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.05.2013 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-5/97-पार्ट-1 दिनांक 20.09.2013, 03.01.2015 तथा दिनांक 22.09.2015 (संशोधनों सहित) द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.09.2013 तथा 04.02.2015 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, स्टाफ नर्स, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःआयु0-क-(3)-6/99 दिनांक 30.05.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2013 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, सहायक परिचारिका दाई, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-क-(3)-25/99-पार्ट दिनांक 07.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित।

((i) से (iv) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है)

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

(1.) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **135वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोज़गार विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **136वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है।

(2.) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **57वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)(वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्याः2) के पैरा संख्याः3.3 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3.) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति के **29वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशो पर बना 9वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. **<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>**

डॉ0 राजीव सैजल ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"दिनांक 16 मार्च, 2016 को अमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**सरकारी दाल के पैकेट में निकला मरा हुआ चूहा**" से उत्पन्न स्थिति ।

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. **<u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानः सामान्य चर्चा का समापन</u>**

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(मुख्य मन्त्री के उत्तर के दौरान अपराह्न 12.50 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया।)

माननीय मुख्य मन्त्री ने वॉक आउट की निन्दा की।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैंने विपक्ष से पहले ही कहा था कि वे माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर के पश्चात् स्पष्टीकरण मांग सकते हैं परन्तु उन्होंने पहले ही वॉक आउट कर दिया।

Before I proceed further I would like to say the points raised by the members of opposition in between the reply of Hon'ble Chief Minister were uncalled for as points raised have already been discussed and debated during the General Budget. There was no need and no point in raising the same during the reply of the Government.

इससे पूर्व कि मैं, आज सभा की बैठक स्थगित करूं, सदन की विभागीय स्थाई समितियों से अपेक्षा है कि वे अनुदान मांगों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपने-अपने प्रतिवेदन 28 मार्च, 2016 को, जब सभा की बैठक पुनः प्रारम्भ होगी, प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रूची लेकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगे और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को देंगे।

अब मैं, अपनी व आप सभी की ओर से प्रदेशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूँ।

(सदन की बैठक अपराह्न 1.50 बजे सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)